

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा, आई0ए0एस0


प्रकरण संख्या - 146/2019 (Bank Case)

शुभम हाउसिंग डवलपमेन्ट फाईनेन्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड शाखा- 04 व 05, प्रथम तल, अन्नपूर्णा डिपार्टमेन्टल स्टोर के उपर, डॉ. शीला चौधरी रोड, तलवण्डी, कोटा-324005, राजस्थान जरिये प्राधिकृत अधिकारी।

- प्रार्थी

बनाम

1. श्री शाहबुद्दीन पुत्र श्री कमरुद्दीन (ऋणी / बंधककर्ता)
पता-रे न0 721, साजीदेहरा, थाने के पीछे वाली, कच्ची बस्ती-324001, राजस्थान।
2. श्रीमति शाहीन पत्नी श्री शाहबुद्दीन (ऋणी / बंधककर्ता)
पता-रे न0 721, साजीदेहरा, थाने के पीछे वाली, कच्ची बस्ती-324001, राजस्थान।



प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 सिक्वोरिटाईजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्वोरिटी इन्ट्रस्ट एक्ट, 2002


उपस्थिति:-

श्री अविनाश ठाकुर, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक: 17.12.2019

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि शुभम हाउसिंग डवलपमेन्ट फाईनेन्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड शाखा- 04 व 05, प्रथम तल, अन्नपूर्णा डिपार्टमेन्टल स्टोर के उपर, डॉ. शीला चौधरी रोड, तलवण्डी, कोटा-324005, राजस्थान में स्थित हैं, से अप्रार्थीगण ने दिनांक 20.01.2015 को रूपये 3,00,000/- (अक्षरे: रूपये तीन लाख मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्वोरिटी के रूप मे अचल सम्पत्ति श्री शाहबुद्दीन पुत्र श्री कमरुद्दीन एवं श्रीमती शाहीन पत्नी श्री शाहबुद्दीन की रे नं0 721, साजीदेहरा, थाने के पीछे, कच्ची बस्ती, कोटा, राजस्थान स्थित सम्पत्ति (उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार क्षेत्रफल 323.10 वर्ग फीट) को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 13.06.2018 को एन. पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थीगण के खातों मे 3,05,077 /- (अक्षरे तीन लाख पांच हजार सत्तर रूपये मात्र) बकाया रकम दिनांक 13.06.2018 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 15.06.2018 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, तथा नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र "दैनिक नवज्योति" एवं "टाईम्स ऑफ इण्डिया" में दिनांक 28.06.2018 को प्रकाशन भी कराया इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है। प्रार्थी बैंक


जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)


द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी दिनांक 15.06.2018 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, तथा नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र "दैनिक नवज्योति" एवं "टाईम्स ऑफ इण्डिया" में दिनांक 28.06.2018 को प्रकाशन भी कराया, इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया । प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 15.06.2018 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, तथा नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र "दैनिक नवज्योति" एवं "टाईम्स ऑफ इण्डिया" में दिनांक 28.06.2018 को प्रकाशन भी कराया, इसके पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है । अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता अचल सम्पत्ति श्री शाहबुद्दीन पुत्र श्री कमरुद्दीन एवं श्रीमती शाहीन पत्नी श्री शाहबुद्दीन की रे नं0 721, साजीदेहरा, थाने के पीछे, कच्ची बस्ती, कोटा, राजस्थान स्थित सम्पत्ति (उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार क्षेत्रफल 323.10 वर्ग फीट) का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 17.12.2019 को सुनाया गया ।




(ओम कसेरा)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा